न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/62

लटूर लाल आत्मज लक्ष्मीनारायण जाति नायक निवासी चम्पाखेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मोहन दास पुत्र बजरंग दास (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. चन्द्रप्रकाश पुत्र मोहन दास निवासी चम्पाखेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. महावीर पुत्र लक्खादास जाति बैरागी निवासीगण चम्पाखेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री ओम प्रकाश प्रजापति, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कनिष्क बैरागी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 31.08.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, दीगोद जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत धारा 183 एवं 188 का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम चम्पाखेडा तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 78 की 07 बीघा 01 बिस्वा भूमि दिनांक 31.05.86 को आवंटन हुई थी और वादी को उक्त भूमि पर दखल दे दिया गया । सेटलमेंट द्वारा उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 78 रकबा 0.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 79 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 80 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.26 हैक्टर कुल 04 किता की 1.13 हैक्टर कायम किये गये । उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी प्रतिवादीगण आये दिन उक्त भूमि में मदाखलत व मजाहमत पैदा करते रहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । आराजी खसरा नम्बर 82 की 0.06 हैक्टर भूमि पर

प्रतिवादी मोहनदास व खसरा नम्बर 80 की 0.10 हैक्टर भूमि पर महावीर प्रतिवादी द्वारा ताकत के बल पर अतिक्रमण कर लिया गया है जिससे उन्हें बेदखल कर वादी कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम चम्पाखेडा तहसील दीगोद की आराजी खसरा नम्बर 82 की 0.06 हैक्टर भूमि पर से प्रतिवादी मोहनदास को व खसरा नम्बर 80 की 0.10 हैक्टर भूमि से प्रतिवादी महावीर को बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा दिलाया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी की अन्य आराजी व खसरा नम्बर 78, 79, 80, 82 कुल 1.13 हैक्टर पर उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें ।

4. प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 द्वारा जवाबदावा पेश कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 29.05.2017 के द्वारा वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को दिनांक 31.05.1986 को ग्राम चम्पाखेडा की आराजी खसरा नम्बर 78 की 07 बीघा 01 बिस्वा भूमि आवंटन हुई थी जिस पर अपीलान्ट को दिनांक 12.04.1997 को दखल दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र खसरा नम्बर 82 की 0.06 हैक्टर तक वाद डिक्री किया है जबकि खसरा नम्बर 80 के सम्बन्ध में भी वाद डिक्री किया जाना चाहिए था । अपीलान्ट का वर्तमान में भी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि से रेस्पोडेन्ट का कोई लेना–देना नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट पढना– लिखना नहीं जानता है मात्र हस्ताक्षर करना जानता है । अपीलान्ट को खसरा नम्बर 80 के सम्बन्ध में दिनांक 15.12.2017 को हल्का पटवारी द्वारा जानकारी दिये जाने पर अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट के द्वारा एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट

का कब्जा खसरा नम्बर 82 रकबा 0.06 हैक्टर पर बतौर राजीनामा स्वीकर कर दिया जा चुका है परन्तु खसरा नम्बर 80 का रकबा 0.10 हैक्टर के लिए सहायता नहीं दी है जबकि आराजी अपीलान्ट को आवंटनशुदा है जिस पर अपीलान्ट को विधिवत रूप से सन् 1997 में दखल दिया गया था । अपीलान्ट उक्त भूमि पर वर्तमान में काबिज है । उक्त भूमि अपीलान्ट को सन् 1986 में आवंटन हुई थी । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखा था । अपीलान्ट पढना–लिखना नहीं जानता है मात्र हस्ताक्षर करना जानता है । सीपीसी की पालना किये बिना लोक अदालत में वाद वादी आंशिक रूप से डिक्री किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि राजीनामे के अनुसार लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है आराजी खसरा नम्बर 80 रकबा 0.10हैक्टर सिवायचक है जिसके बावत् वाद वादी डिक्री नहीं किया जा सकता था । इस पर मकानात बने हुए हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2017 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 02.07.2014 के अनुसार एक राजीनामा पेश किया था । राजीनामा का अवलोकन किया गया । राजीनामा पत्रावली के पृष्ठ संख्या 57 पर संलग्न है । इस राजीनामे को न्यायालय ने तस्दीक नहीं किया है । राजीनामा वादी लटूर लाल और प्रतिवादी संख्या 01 मोहनदास के मध्य किया जाना अंकित है । प्रतिवादी संख्या 02 और 03 के इसमें हस्ताक्षर नहीं हैं । दिनांक 29.05.2017 को लोक अदालत में वादी उपस्थित हुए हैं और उस दिन इस राजीनामा के आधार पर दावा वादी आंशिक रूप से डिक्री कर निर्णय पारित किया गया है । राजीनामा न्यायालय के द्वारा तस्दीक नहीं किया गया है और समस्त पक्षकारान के मध्य नहीं हुआ है सिर्फ वादी एवं प्रतिवोदी कम 01 के मध्य हुआ है । दावे में प्रतिवादी कम 02 के द्वारा खसरा नम्बर 80 की 0.10 हैक्टर आराजी में अवैध रूप से कब्जा किये जाने का कथन किया गया है । जवाबदावा प्रतिवादी कम 01 और 02 के द्वारा पेश किया गया है परन्तु राजीनामा सिर्फ वादी और प्रतिवादी कम 01 के मध्य हुआ है और उसे भी न्यायालय के द्वारा तस्दीक नहीं किया गया है । यदि वादी और प्रतिवादी कम 02 के मध्य राजीनामा नहीं हुआ है तो वादी व प्रतिवादी कम 02 के मध्य दावे व जवाबदावे के आधार पर जो विवाद्यक है उनका सीपीसी की पालना में निर्णय किया जाना आवश्यक है जो नहीं किया गया है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राजीनामे को विधिक प्रावधानों के अनुसार तस्दीक कर पैरा संख्या 12 में किये गये विवेचन के मध्यनजर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 05.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 31.08.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31.8.2020

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा